छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

छत्तीसगढ़ शासन

मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर 492007 (छ.ग.)

दूरभाष नं. : 0771-2446018, 4902940

ई-मेल : cgpurc18@gmail.com

वेबसाइट : www.cgpurc.in

क्रमांक :747 / रा०भ० / 191 / ए / 2014 / 10163 (1)-(10) रायपुर, दिनांक 05/ 07 / 2019

प्रति,

1. कुलसचिव,
   डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय
   करगी रोड कोटा
   बिलासपुर (छ०ग०)

2. कुलसचिव,
   मैट्स विश्वविद्यालय,
   ग्राम–गुल्लू, तहसील–आरंग
   जिला–रायपुर (छ०ग०)

3. कुलसचिव,
   कलिंगा विश्वविद्यालय,
   ग्राम–कोटनी, पलौद,
   तहसील–आरंग,

4. कुलसचिव,
   आई०सी०एफ०आई विश्वविद्यालय
   ग्राम–कुम्हारी,तहसील–चोरहा,
   जिला–दुर्ग (छ०ग०)

5. कुलसचिव,
   आई०टी०एम० विश्वविद्यालय,
   ग्राम–उपरवारा,तहसील–अभनपुर,
   जिला–रायपुर (छ०ग०)

6. कुलसचिव,
   एमिटी विश्वविद्यालय,
   ग्राम–माठ,तहसील–तिल्दा,
   जिला–रायपुर (छ०ग०)

7. कुलसचिव,
   ओ.पी.जिंदल नॉलेज पार्क
   ग्राम–पूजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा
   जिला–रायगढ़ (छ०ग०)

8. कुलसचिव,
   आई०एस०बी०एम० यूनिवर्सिटी
   ग्राम–नवापारा,तहसील–छुरा,
   जिला–गरियाबंद (छ०ग०)

9. कुलसचिव,
   एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया आर्ट्स
   ग्राम–माठ,तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर
   (छ०ग०)

10. कुलसचिव,
    श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय
    शदानी दरबार के पास, ग्राम–धनेली, पोस्ट–माना, धमतरी रोड, तहसील एवं
    जिला–रायपुर (छ०ग०)

विषयः–निजी विश्वविद्यालयों के सुचारू संचालन हेतु 05 बिन्दुओं की जानकारी को विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निजी विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावको एवं जन सामान्य को सुलभ हो सके इस हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट में निम्नानुसार 05 बिन्दुओं की जानकारी को 15 दिवस के अंदर अपलौड करना सुनिश्चित करें तथा जानकारी अपलोड होने के उपरांत आयोग कार्यालय को वेबसाइट की लिंक के साथ सूचित करे।

क्रमशः–2

1. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम–2005 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के परिनियम एवं अध्यादेश जो राजपत्र में प्रकाशित है।

2. विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए विषयवार निर्धारित शुल्क राशि की जानकारी।

3. विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के लिए केन्द्रीय नियामक अभिकरणों से ली गयी अनुमति की जानकारी।

4. विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियमित शिक्षकों का विवरण जिन्हें चयन समिति द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा केन्द्रीय नियामक अभिकरणों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नियुक्त किया गया है का विवरण।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में निहित प्रावधानानुसार विश्वविद्यालयों में जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी की जानकारी।

(के.के.चन्द्राकर)
सचिव
छ.ग. निजी वि.वि.विनियामक
आयोग

पृ.क्रमांकः 747/रा.भ./191/ए/2014 रायपुर, दिनांक /07/2019

प्रतिलिपि,

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित है।

सचिव
छ.ग. निजी वि.वि. विनियामक
आयोग